न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :129/2022 दायर दिनांकः 05.07.2022
GCMS NO:- 2022/250 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

रमेशचन्द आ0 हरिराम जाति महाजन नि0 भीमगढ खोडी तहसील गुढगांव हरियाणा।

–प्रार्थी–

बनाम

भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ तहसील नैनवॉ

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्रः– धारा 136 एलआर एक्ट
वास्ते तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु।

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।

निर्णय दिनांक 31.07.2025

–निर्णय–

प्रार्थना पत्र मे संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लाम्बाबरडा प0म0 लाम्बाबरडा तहसील नैनवॉ की जमाबन्दी संवत् 2076–2078 के खाता संख्या नया 176 पुराना 175 के अनुसार खसरा नम्बर 579 रकबा 0.7200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 778/602 रकबा 0.6472 हैक्टयर, खसरा नम्बर 781/602 रकबा 1.6180 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.9852 हैक्टयर स्थित है। प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा नम्बर 778/602 व 781/602 का मूल नम्बर 602 जिसे पूर्व मे तरमीम के समय राजस्व नक्शे मे खसरा नम्बर 602/1 व 602/2 दर्ज रिकॉर्ड किया हुआ थात था खसरा नम्बर 602 मिन राजकीय सिवायचक भूमि के रूप मे दर्ज रिकॉर्ड है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज रहकर लगातार उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 602/2 एवं खसरा नम्बर 602/1 है तथा सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 602 मिन है। खसरा नम्बर 602 मिन की हो रही तरमीम को परिवर्तित कर खसरा नम्बर 602/2 प्रार्थी के खाते की भूमि मे दर्ज कर दिया तथा खसरा नम्बर 602/2 की भूमि को नक्शे मे सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 602 मिन मे दर्ज कर दिया गया है जो पूर्णतः विधि विरूद्व है। पूर्व मे हो रही तरमीम का राजस्व नक्शा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की राजस्व नक्शे मे पूर्व मे जो तरमीम हो रही थी, उस तरमीम को राजस्व नक्शे ऑनलाईन करते समय बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व कर्मचारियों ने अपनी मर्जी से परिवर्तित कर दिया गया जो पूर्णतः गलत है। पूर्व मे हो रही तरमीम को परिवर्तित करने का राजस्व कर्मचारियों को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही है। पूर्व मे हो रही तरमीम को वाद के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ मे दर्शाया गया हैं जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियों की राजस्व नक्शा लट्ठा मे पूर्व मे हो रही तरमीम जिसमे नक्शा परिशिष्ट अ मे दर्शाये अनुसार वापस ऑनलाईन राजस्व नक्शे मे तरमीम दर्ज करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा परिशिष्ट अ, शपथ–पत्र, जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस की प्रति आदि पेश कर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 778/602 व 781/602 की पूर्व मे राजस्व नक्शा लट्ठा मे हो रही तरमीम नक्शा परिशिष्ट अ मे दर्शाये अनुसार वापस ऑनलाईन राजस्व नक्शे मे करने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी राज. सरकार द्वारा तहसीलदार नैनवां ने पत्रांक/भू0अ0/25/2394 दिनांक 22.5.2025 द्वारा रिपोर्ट/जवाब पेश की गयी जिसमे तथा संलग्न भू0अ0निरीक्षक व पटवारी रिपोर्ट मे भिन्नता पायी जाने से पुनः रिपोर्ट पेश करने हेतु तहसीलदार नैनवॉ को लिखा गया जिस कम मे तहसीलदार नैनवॉ द्वारा पुनः रिपोर्ट पत्रांक/भू0अ0/25/3223 दिनांक 19.6.2025 द्वारा पेश की गयी।

आज दिनांक 31.07.2025 को बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 778/602 व 781/602 की पूर्व मे राजस्व नक्शा लट्ठा मे हो रही तरमीम नक्शा परिशिष्ट अ मे

दर्शाये अनुसार वापस ऑनलाईन राजस्व नक्शे मे करवायी जावे जिसकी अनुशंषा रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा भी की गयी है।

हमने प्रार्थना पत्र, शंपथ–पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां आदि का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र में दिये गए तर्कों पर मनन किया। तहसीलदार नैनवां द्वारा रिपोर्ट मे निवेदन किया गया है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे अंकित भूमि भूमि खसरा नम्बर 602/1, 602/2 व 602 मि0 सेग्रीग्रेशन के दौरान हुई तरमीम को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ के अनुसार दुरूस्त करवाना चाहता है। मौके पर प्रार्थी द्वारा नक्शा परिशिष्ट अ के अनुसार तरमीम दुरूस्ती हेतु नकल नक्शा ट्रेस पेश किया गया जिसकी जांच पुराने नक्शा लट्ठा से की गयी। पुराने नक्शा लट्ठा मे उक्त खसरा नम्बरान की मुताबिक परिशिष्ट अ अनुसार तरमीम हो रखी है लेकिन नक्शा लट्ठा फटा हुआ है और साथ ही उक्त तरमीम करने संबंधी नोट नक्शा लट्ठा मे अंकित नही है। उक्त भूमि प्रार्थी की क्रयशुदा भूमि है। उक्त खसरा नम्बर 602/1 रकबा 10 बीघा की भूमि दिनांक 03.12.1975 जर्ये नामान्तरकरण संख्या 59 दिनांक 3.1.1976 से अलाद्दीन पुत्र सुबान मुसलमान तेली सा0 देह गैर खातेदार एवं खसरा नम्बर 602/2 रकबा 4 बीघा की भूमि दिनांक 15.6.2002 जर्ये नामान्तरकरण संख्या 489 दिनांक 9.8.2002 से देवलाल पुत्र छोगा गुर्जर सा0 जैतपुर गैर खातेदार के नाम आवंटित हुई थी। नामान्तरकरण संख्या 489 दिनांक 9.8.2002 की पुश्त पर उक्त खसरा नम्बर 602 की तरमीम का नजरी नक्शा बना हुआ है जो संलग्न परिशिष्ट अ अनुसार ही है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है जिससे तहसीलदार नैनवॉ द्वारा उक्त भूमि की तरमीम मुताबिक परिशिष्ट अ के अनुसार ही प्रस्तावित कर मय अभिशंषा के साथ रिपोर्ट पेश की गयी।

प्रार्थी द्वारा चाही गयी याचना के अनुसार मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 489 दिनांक 9.8.2002 की पुश्त पर उक्त खसरा नम्बर 602 की तरमीम का नजरी नक्शा बना हुआ होने तथा मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होना पाया जाने से तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम लाम्बाबरडा पटवार मण्डल लाम्बाबरडा की भूमियों खसरा संख्या 778/602 रकबा 0.6472 हैक्टयर, 781/602 रकबा 1.6180 हैक्टयर की तरमीम मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 489 दिनांक 9.8.2002 की पुश्त पर बने खसरा नम्बर 602 की तरमीम का नजरी नक्शा मुताबिक, तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रस्तावित नक्शा जिसे परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है, के अनुसार शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां